/R T A /2020/00233 21/10/2020

1

1

18/10/2021

1 88 8 1 2

पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कटावर में पेश हुई। वादिया उपस्थित प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम एवं माल बिछालस की खाता सं0 60 किता 3 रकबा 0.78 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते में दर्ज है। वादिया के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें वादिया का 1/42 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि में वादिया का गलत नाम संतोष पुत्री रामेश्वर दर्ज है, जिसमें वादिया का नाम सही नहीं है, जबकि वादिया का सही नाम हेमलता पुत्री रामेश्वर है, वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती इंतकाल खुलवाते समय वादिया का बोलता नाम संतोष लिखवा दिया गया जिसमें वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संतोष दर्ज हो गया आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम हेमलता है इसलिये वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। अतः वादिया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि~~~(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम संतोष के स्थान पर हेमलता राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करे।~~प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादी संतोष पुत्री रामेश्वर जाति मीणा सा0 बिछालस का नाम शुद्धि हेतु प्राप्त आवेदन की जांच की गई पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में वादिया का नाम हेमलता बाई दर्ज है तथा ग्राम वासियान के बताये अनुसार भी संतोष व हेमलता एक ही व्यक्ति का नाम है, हेमलता बाई को गांव में संतोष के नाम से भी जाना जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी संतोष का नाम हेमलता बाई दर्ज किया जाना उचित होगा। सरपंच ग्राम पंचायत कटावर द्वारा भी सही नाम हेमलता बाई करना उचित होगा।~~पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम बिछालस की खाता सं 60 किता 3 रकबा 2.73 है0 में वादिया का नाम संतोष पुत्री रामेश्वर दर्ज है। आधार कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, जनआधार कार्ड, एसबीआई बैंक डायरी आदि में वादिया का सही नाम हेमलता बाई दर्ज है।~~अतः न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।~~~क्रियात्मक आदेश~~~उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी ग्राम बिछालस की खाता सं0 60 किता 3 रकबा 0.78 है0 आराजी शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें सहखातेदार संतोष पुत्री रामेश्वर के स्थान पर हेमलता उर्फ संतोष पुत्री रामेश्वर दर्ज किये जाने के आदेष दिये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।~

(DINESH KUMAR MEENA)